न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल [illegible]

निग /3310/III/15 रिवीजन प्र.क्र. :-

निर्भयराम पिता चुन्नीलाल पाटीदार
आयु 65 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम आवयाबिका
तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर पोस्ट मगराना ..... प्रार्थी

विरूद्ध

1. ओमप्रकाश पिता हीरालाल पाटीदार निवासी
ग्राम आवयाबिका तह. मल्हारगढ़ पोस्ट मगराना
जिला मंदसौर

2. म.प्र. शासन

3. सुरेशचन्द्र शर्मा, पटवारी हल्का नं. 69 ग्राम आवयाबिका
तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर म.प्र.

4. प्रमोद भाटी राजस्व निरीक्षक वृत्त 0 2 बुढ़ा
तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .... विपक्षीगण

7095
13/10/15

निगरानी प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं.

विरूद्ध आदेश दिनांक पंचनामा दिनांक 04.06.2014 प्र
83 अ 12/13-14 (निर्भयराम कथित विरूद्ध म.प्र.
शासन) की गई कार्यवाही द्वारा विपक्षी राजस्व नि
वृत्त 02 बुढ़ा तह मल्हारगढ़ जिला मंदसौर म.प्र.

माननीय महोदय,
प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थनापत्र निम्नवत प्रस्तुत है :=

1. यह कि, प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं.
419 रकबा 0.06 ग्राम आवयाबिका तह, मल्हारगढ़ में स्थित है इस भूमि
प्रार्थी का ही कब्जा मालिकाना चला आ रहा है। इस भूमि से विपक्षी ओम्
प्रकाश का कोई संबंध नहीं है।

2. यह कि, विपक्षी क्र. 01 ओमप्रकाश ने प्रार्थी की भूमि पर
जबरन कब्जा करने की दुर्भावना से विपक्षी पटवारी और गिरधावर से सांठ गांठ
की और इन तीनो ने राय करके एक झूंठा आवेदन पत्र गुपचुप रूप से प्रार्थी के
नाम से सीमांकन का बनाया और इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर भागीरथ नाम
किये। ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

50

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3310-तीन/15 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	